कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 3072/ 12–1 अल्मोड़ा, दिनांक, 26.06.2015.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

विषय :– हरिनगर पय्या मोटर मार्ग का दाबू हडाप तक विस्तार **(प्रस्ताव संख्या 10042/2015)।**

संदर्भ :– आपका पत्रांक 4051/12–1–2 दिनांक 20.06.2015।

महोदय,

संदर्भित पत्र के क्रम में इस कार्यालय की पत्र संख्या 2909/12–1 दिनांक 12.06.2015 का भली–भांति अवलोकन करें। आपसे अपेक्षा की गयी थी कि विषयगत मोटर मार्ग के (SIR) रिपोर्ट में निरीक्षण की तिथि 25.11.2013 सूचित की है। यह तिथि प्रस्ताव ऑन लाइन हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 15.08.2014 से पूर्व की है आप अवगत है कि ऑन लाइन प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात् क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण के साथ – साथ परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्षों के फोटोग्राफ भी ऑन लाइन किये जाने है। विषयगत मोटर मार्ग के पार्ट– II में आपके द्वारा स्थलीय निरीक्षण तिथि 27.05.2015 सूचित की है। सम्भवतः आपके द्वारा 27.05.2015 को भी स्थल के निरीक्षण के साथ–साथ प्रभावित होने वाले वृक्षों के फोटोग्राफ भी प्रस्ताव में ऑन किये है। ऐसी स्थिति में दिनांक 15.08.2014 से पूर्व की स्थलीय निरीक्षण की तिथि को (SIR) रिपोर्ट में सूचित किया जाना उचित नही है। इस सम्बन्ध में दूरभाष द्वारा **अपर प्रमुख वन, संरक्षक /नोडल अधिकारी, भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी, देहरादून** से भी दूरभाष के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गयी। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि 15.08.2014 के उपरान्त आपके द्वारा यदि प्रस्तावित मोटर मार्ग का निरीक्षण किया हो तो वह तिथि आप (SIR) रिपोर्ट में सूचित कर सकते है।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि (SIR) रिपोर्ट में दिनांक 15.08.2014 के पश्चात जिस तिथि में आपके द्वारा निरीक्षण किया गया उसको (SIR) रिपोर्ट में भी दर्ज करें।

भवदीय

26/6

(प्रेम कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।